UPCH010003782026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–157/2026

1– रोहित साहू
2– मोनू साहू
3– सोनू साहू **बनाम** **राज्य**

मुकदमा अपराध संख्या–242/2025
धारा–75(3), 115(2), 191(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0
थाना–मऊ
जिला चित्रकूट।

30.03.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्तगण **रोहित साहू, मोनू साहू व सोनू साहू** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–242/2025 अन्तर्गत धारा–75(3), 115(2), 191(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना मऊ, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आज पुनः आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। **यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश चित्रकूट के आदेशानुसार सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अन्तरित किया गया है।**

मैंने राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का श्रवण किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना मऊ में यह तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थिया पं0 पुरूषोत्तम द्विवेदी इण्टर कालेज मऊ की कक्षा 12 की छात्रा है। प्रार्थिया प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे अपने घर से कालेज आती है। प्रतिदिन की भांति आज दिनांक 01.08.2025 को समय लगभग 10.00 बजे कालेज से घर अपने भाई अनिल के साथ वापस जा रही थी कि रोहित साहू व मोनू साहू व सोनू साहू पुत्रगण मल्हू व रितेश कुमार पुत्र राजेन्द्र निषाद व पीयूष मौर्या व अन्य लड़कों ने मिलकर मुझ प्रार्थिया व मेरे भाई को देखकर भद्दी–भद्दी कमेन्ट करने लगे व अश्लील हरकते करने लगे। मुझ प्रार्थिया के भाई द्वारा मना करने पर उपरोक्त सभी व्यक्ति एक राय होकर गालियां देने लगे व पाईप व राड लेकर मारा पीटा व मुझ प्रार्थिया को भी मारा पीटा

Digitally signed by RENU MISHRA
Date: 2026.03.31 11:05:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा बाल पकड़ कर खीचा जिससे मुझ प्रार्थिया व मेरे भाई को काफी अन्दरूनी चोटे आयी है। उपरोक्त व्यक्ति पहले भी मुझ प्रार्थिया को देखकर गन्दे गन्दे कमेन्ट करते थे जिसकी वजह से मैं प्रार्थिया अपने भाई के साथ में आने जाने लगी थी। उपरोक्त व्यक्ति मुझ प्रार्थिया व मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी कहा पुलिस से शिकायत करोगे तो जान से मार डालेंगे।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है और उन्होंने कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित आरोप सरासर गलत हैं। वादिया के साथ प्रार्थीगण ने किसी प्रकार के भद्दे–भद्दे कमेन्ट कर छेड़छाड़ नहीं की और न ही गाली गलौज करते हुए मारपीट की और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थीगण को गांवदारी की रंजिश के कारण फर्जी मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उपरोक्त मामले के मजरूबों की इंजरी रिपोर्ट में अंकित इंजरी साधारण प्रकृति की है। प्रार्थीगण द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है। प्रार्थीगण के ऊपर आरोपित अपराध 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध इस आधार पर किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता कथित घटना में है तथा प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। अतः अभियुक्तगण की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता बतायी गयी है। परन्तु अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण इस प्रकरण में पूर्व से अन्तरिम जमानत पर रहे हैं। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण पुनः आत्मसमर्पण कर हाजिर है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सात वर्ष से अनधिक कारावास से दण्डनीय है। यह भी ध्यातव्य है कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना की कार्यवाही में सहयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के वाद में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अभियोग की प्रकृति एवं उसके

सन्दर्भ में दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत् रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **रोहित साहू, मोनू साहू व सोनू साहू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–242/2025 अन्तर्गत धारा–75(3), 115(2), 191(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना मऊ, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदकगण प्रत्येक द्वारा मु0 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की एक–एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की सुन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उन्हें इस प्रकरण में निम्नांकित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल की जाये कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा साक्षीगण को भय, धमकी या उत्प्रेरण द्वारा प्रभावित नहीं करेंगे।

(रेनू मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट।
30.03.2026
जे0ओ0 कोड–2749